Original Article
ISSN (Online): 2582-7472

ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts
May 2024 5(5), 1309–1316

सर्वशिक्षा अभियान के कारण प्राथमिक स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का अध्ययन

मुरारी कुमार [1], डॉ धर्मेंद्र सिंह [2]

[1] शोधकर्ता, शिक्षा शास्त्र, मंगलायतन विश्वविद्यालय बेसवां (अलीगढ़) उत्तर–प्रदेश
[2] शोध निर्देशक, शिक्षा शास्त्र, मंगलायतन विश्वविद्यालय बेसवां (अलीगढ़) उत्तर–प्रदेश

DOI
10.29121/shodhkosh.v5.i5.2024.3054

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Copyright: © 2024 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.

OPEN ACCESS

ABSTRACT

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे है। जिससे शिक्षा के सार्वभौमिकता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इसके विकास के लिए अनेक योजनाओं तथा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया गया है। इसी क्रम में सार्वभौमिकता के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु 2001 में सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम इस दिशा में एक नवीनतम पहल है। यह कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की एक समयबद्ध योजना है। जो केन्द्र, राज्य और स्थानीय निकायों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। जिसमें उपयोगी एवं सार्थक प्रारंभिक शिक्षा के साथ समुदाय की सक्रिय सहभागिता से सामाजिक, क्षेत्रीय तथा लैगिंक असमानता को समाप्त करना तथा विद्यालय में बच्चों के सार्वभौमिक ठहराव को सुनिश्चित करना है। इस योजना के केन्द्र में मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र है। सभी को शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए अनेक सुविधाएं मुहैया करायी जा रही है।

Keywords: सार्वभौमिकता, प्राथमिक शिक्षा,विकास, लक्ष्य, सर्वशिक्षा अभियान.

1. परिचय

शिक्षा में सुधार हेतु केन्द्र और राज्य स्तर पर समितियों और आयोगों का गठन हुआ वर्ष 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति को वर्ष 1991 में संशोधित कर शिक्षा के प्रचार–प्रसार में तेजी लाने के प्रयास किए गये। पुनः 1986 में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 1992 में समीक्षा की गयी और 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया। वर्ष 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के साथ 8 सितम्बर को अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। साक्षरता में और तेजी लाने के लिए 2001में प्रारम्भ 'सर्वशिक्षा अभियान' के तहत वर्ष 2010 तक 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की योजना को कार्यरूप देने हेतु संविधान में 86वाँ संशोधन किया गया। यह अभियान भारत में आजादी के बाद का सबसे बड़ा शैक्षिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य न केवल बच्चों को प्रवेश देना बल्कि प्रवेश के बाद उन बच्चों को विद्यालय में आठ वर्षों तक अनिवार्य रूप से बनाएं रखना भी है।

अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का विचार प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था की देन है। प्रजातंत्र को सफलतापूर्वक व प्रभावशाली ढंग से चलाने के लिए यह आवश्यक है कि सभी नागरिक शिक्षा अवश्य प्राप्त करें। सभी नागरिकों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने का नारा सबसे पहले 19वीं शताब्दी के मध्य में पश्चिमी देशों में दिया गया। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के महत्व को समझते हुए स्वीडन ने सबसे पहले सन् 1842 में

अपने यहाँ अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की। इसके उपरान्त सन् 1852 में अमेरिका, सन् 1860 में नार्वे, सन् 1870 में इग्लैण्ड तथा सन् 1905 में हंगरी, पुर्तगाल और स्विटजरलैंड जैसे देशों ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया।

भारत में सर्व प्रथम बेन्टिस्ट मिशनरी के विलियम एडम ने सन् 1838 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव पास किया। उन्होंने यह सुझाव दिया कि एक कानून बनाकर भारत के प्रत्येक गाँव में प्राथमिक विद्यालय कायम किया जाना अनिवार्य कर दिया जाय। सन् 1852 में बम्बई प्रान्त में कैप्टेन विनगेट ने भूमि राजस्व पर 5 प्रतिशत कर लगाकर कृषकों के बालकों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दिए जाने का प्रस्ताव किया। इसी तरह 1858 में गुजरात के शिक्षा निरीक्षक टी0पी0 होप ने भी एक कानून बनाकर स्थानीय निवासियों को स्थानीय कर लगाकर अनिवार्य शिक्षा का प्रबन्ध करने का अधिकार देने की बात कही। परन्तु ये सब प्रस्ताव लागू नहीं हो सके। भारत में विदेशी शासन के कारण यह कार्य काफी समय तक नहीं हो पाया। प्रारम्भ में विदेशी मिशनरियों ने आधुनिक भारतीय शिक्षा की ओर कदम उठाया, लेकिन इसके पीछे उनका मुख्य उद्देश्य अपने धर्म का प्रचार करना था। अतः उन्होंने शिक्षा के प्रचार का बहाना लेकर इस ओर कार्य करना चाहा और अनेक विद्यालयों की स्थापना की। ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा प्रथम प्रयास 1813 के आज्ञापत्र के अनुसार किया गया। एक लाख रूपये की धनराशि जो सिर्फ अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए निर्धारित की गयी थी, पूर्वी–पश्चिमी भाषा विवाद के उठ जाने के कारण व्यय न की जा सकी। सन् 1835 ई0 में लार्ड मैकाले के विवरण–पत्र के अनुसार बैंटिंक ने शिक्षा सम्बन्धी अपनी नीति स्पष्ट की और पाश्चात्य ज्ञान–विज्ञान के अध्ययन पर जोर दिया और पूर्वी शिक्षा को अवहेलना की दृष्टि से देखा गया, जिसका परिणाम प्राथमिक शिक्षा के विकास पर बहुत ही बुरा पड़ा। सन् 1854 में वुड घोषणा–पत्र के अनुसार भारत के सभी प्रान्तों में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई और प्राथमिक शिक्षा का भार उन्हें सौंप दिया गया। 1859 में स्टैनले घोषणा–पत्र की सिफारिशों के फलस्वरूप सरकार ने प्राथमिक शिक्षा पर कर लगाकर प्राथमिक शिक्षा का विकास करने की चेष्टा की। हंटर आयोग (भारतीय शिक्षा आयोग 1882) ने प्राथमिक शिक्षा की मंद प्रगति होने के कारण इस दिशा में सबसे अधिक रूचि लिया। परिणामतः प्राथमिक शिक्षा की भारतीय शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ, जिसमें उनकी प्रमुख संस्तुतियाँ प्राथमिक शिक्षा के प्रसार से सम्बन्धित थी।

सन् 1882 में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय शिक्षा आयोग (हंटर आयोग) के सामने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाने की मांग रखी थी। यद्यपि उनकी इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया। परन्तु इस मांग ने भारतीयों का ध्यान अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता की ओर आकर्षित किया। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने की दिशा में प्रथम आंशिक रूप से सफल प्रयास सर इब्राहिम रहीमतुल्ला व सर चिमनलाल शीतलवाड़ा का रहा। इन दोनों के प्रयासों के फलस्वरूप बम्बई सरकार ने सन् 1906 में बम्बई में प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता की संभावना पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया, परन्तु दुर्भाग्यवश इस समिति का निर्णय शिक्षा की अनिवार्यता की ओर नहीं था। सन् 1884 ई0 में बड़ौदा के शिक्षा निरीक्षक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव रखा। सन् 1892 में बड़ौदा नरेश सियाजी गायकवाड़ ने अपने राज्य के अमरेली नगर के 9 गाँवों में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया। जिसमें 7 से 12 वर्ष के बालकों और 7 से 10 वर्ष की बालिकाओं की शिक्षा अनिवार्य की गई। उन्होंने सन् 1906 में अपनी सम्पूर्ण रियासत में शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। भारत में अनिवार्य शिक्षा के सम्बन्ध में यह प्रथम प्रयोग था।

बड़ौदा नरेश के कार्य से प्रेरणा प्राप्त कर राष्ट्रीय नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने सरकार से शिक्षा की अनिवार्यता की मांग की। यद्यपि गोखले द्वारा सन् 1910 में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौसिंल में प्रस्तुत अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, परन्तु इस प्रस्ताव ने जनता का ध्यान शिक्षा की ओर आकर्षित किया। इस श्रृंखला में प्रथम सफल प्रयास श्री विट्ठल भाई 7 पटेल का रहा। उनके प्रयासों से सन् 1918 में पटेल कानून के नाम से प्रसिद्ध प्रस्ताव पास हुआ। जिसमें बम्बई म्युनिसिपियल क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया था। कुछ समय बाद इसका अनुसरण अन्य राज्यों ने भी किया। सन् 1919 में बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश व मद्रास में, सन् 1926 में असम में, सन् 1930 में बंगाल व कश्मीर में तथा सन् 1931 में मैसूर में प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता के लिए प्रयास किए गए। परन्तु इस दिशा में कोई भी विशेष व्यवहारिक कार्य ठोस ढंग से नहीं किया गया।

इस प्रकार अनिवार्य शिक्षा की प्रगति 1930 तक बराबर होती रही। परन्तु 1931 से 1937 तक इसके विकास में गतिरोध उत्पन्न हो गया। जिसमें प्रथम कारण विश्वव्यापी आर्थिक अवसाद था। जिसका प्रभाव भारत पर पड़ा। फलस्वरूप अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी बहुत सी योजनाओं को स्थगित करना पड़ा। दूसरा कारण 1927 ई0 में हर्टांग समिति की नियुक्ति की गयी। जिसने इस बात पर जोर दिया कि प्राथमिक शिक्षा को उपयोगी बनाने के लिए प्राथमिक विद्यालयों की संख्यात्मक वृद्धि न की जाय बल्कि उनकी गुणात्मक उन्नति पर अधिक ध्यान दिया जाय। इस शिक्षा नीति के कारण भी अनिवार्य शिक्षा के प्रसार पर आघात पहुँचा। सन् 1937 ई0 में प्रान्तीय स्वायत्त शासन की स्थापना हुई

और 11 प्रान्तों में से 6 में कांग्रेस मंत्रीमण्डलों का निर्माण हुआ। इन क्षेत्रों में अनिवार्य शिक्षा के प्रसार हेतु अनेक योजनाएं कार्यान्वित की गई। इसका परिणाम यह हुआ कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त सन् 1947 ई0 में भारत में बच्चों के लिए 229 नगरों व 10, 017 ग्रामों में अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो चुकी थी। स्वायत्तता की स्थिति मुश्किल से दो वर्ष भी नहीं रह पायी थी कि द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ गया तथा सभी योजनाएं स्थगित हो गयी। इसके पश्चात विशेष प्रगति संभव न हो सकी।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् प्राथमिक शिक्षा ने विकास के स्वर्णिम युग में प्रवेश किया। संसार के सभी देशों की तरह भारत ने भी बालकों एवं बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार किया। सार्वभौम मानवाधिकार योजना (1948) वह पहली संविदा है जो शिक्षा के अधिकार को स्वीकार करती है। इसके अनु0 28 में मान्यता है कि ''शिक्षा निःशुल्क होगी, कम से कम प्रारम्भिक और मूलभूत चरणों में शिक्षा आमतौर पर सबको समान रूप से सुलभ होगी।''

सन् 1947 में आजादी मिलने के बाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद ने सम्पूर्ण देश में एक समान शिक्षा प्रणाली की आधारशिला रखी। हालांकि भारत में सांस्कृतिक और भाषायी विविधता होने के कारण केवल उच्च शिक्षा जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रमुख विषय था, को ही केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में लाया जा सका। सरकार ने शिक्षा के विकास के संदर्भ में राष्ट्रीय नीतियाँ बनाने और उसे संचालित करने का जिम्मा भी स्वयं लिया। संवैधानिक, विधिक तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों के माध्यम से समय पर सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश की जाती रही है।

सन् 1950 में 'संविधान सभा' ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को राज्य का एक नीति–निदेशक सिद्धान्त घोषित किया तथा अनु0 45 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क घोषित किया गया। 1950 के संवैधानिक प्रावधान में कहा गया कि ''राज्य संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अन्दर 6 से 14 आयु वर्ग तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की पूरी कोशिश करेगा।'' संवैधानिक प्रावधान के आधार पर भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि प्राथमिक शिक्षा बेसिक प्रकार की होगी एवं यह निःशुल्क और अनिवार्य होगी। इसके लिए केन्द्र, राज्य सरकारों को सम्पूर्ण व्यय का 34: वार्षिक सहायता अनुदान के रूप में देगा। शेष व्यय के 3/4 भाग की पूर्ति राज्य सरकारों द्वारा, 1/8 भाग की पूर्ति स्थानीय संस्थाओं द्वारा एवं शेष की पूर्ति अन्य स्रोतों द्वारा की जायेगी।

भारतीय संविधान के अनु0 45 के निर्देश ''देश में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था'' की दृष्टि से 1957 में केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के परामर्श हेतु एक 'अखिल भारतीय शिक्षा परिषद' की स्थापना की गई। इस परिषद के प्रमुख कार्य देश में प्राथमिक शिक्षा की प्रगति का सिंहावलोकन करना, प्राथमिक शिक्षा के प्रसार एवं सुधार के लिए योजनाएं तैयार करना, प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं का संकलन करना था। सन् 1968 में 6–14 आयुवर्ग तक के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 'अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम' पारित किया गया। इससे प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रसार हुआ। सन् 1967–68 में भारत में 4 लाख विद्यालय थे, जिसमें पाँच करोड़ बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। इसके अतिरिक्त जूनियर तथा बेसिक शिक्षा संस्थाएं अलग थी। जिनकी संख्या क्रमशः 90 हजार तथा 20 हजार के लगभग थी।

सार्वभौमीकरण की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का लागू होना है। इस नीति में वर्तमान प्रचलित शिक्षा व्यवस्था की गहराई से विवेचना की गई। विवेचना के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि सम्पूर्ण देश में प्राथमिक शिक्षा को धर्म,जाति, लिंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के 6–14 आयुवर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा की न्यूनतम आवश्यकताएं 10 सुलभ करायी जाय। इस नीति में यह भी अनुभव किया गया कि देश में सार्वभौमिक शिक्षा का लक्ष्य बिना सामुदायिक सहयोग के संभव नहीं है। बच्चों के नामांकन, उनकी विद्यालय में नियमित उपस्थिति तथा सतत और व्यापक मूल्यांकन में सामुदायिक सहयोग प्राप्त किए जाएं। इस शिक्षानीति में उल्लेख किया गया कि शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने का आशय केवल बालक–बालिकाओं का विद्यालयों में नामांकन तक सीमित नहीं है अपितु गुणवत्ता परक शिक्षा देना भी निहित है।

प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण राष्ट्रीय ध्येय के रूप मे स्वीकार किया गया जिसे केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा मिलकर प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे है। 1992 में संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संकल्प व्यक्त किया गया कि "21वीं शताब्दी शुरू होने से पहले देश में 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क, अनिवार्य और गुणवत्ता की दृष्टि से संतोषजनक शिक्षा उपलब्ध करायी जाएं।" इसमें 6–14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया। इस प्रकार भारतीय संविधान का अनु0–45 निःशुल्क

और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए करता है। संतोषजनक और गुणवत्ता युक्त सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की बात 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उल्लेखित थी और यही 1992 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दोहराई गयी। इसी तरह माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन्नीकृष्णन (1993) के वाद में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया कि ''शिक्षा 14 वर्ष की आयु के सभी भारतीय बच्चों का मूल अधिकार है''। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रमुख अर्थशास्त्री 11 डा0 अमर्त्य सेन ने भी इस तथ्य पर बल दिया कि बेसिक शिक्षा मनुष्य के सामर्थ्य में वृद्धि और सतत विकास का प्रमुख आधार है।

प्राथमिक शिक्षा में और तेजी लाने के लिए 2001 में 'सर्वशिक्षा अभियान' शुरू किया गया। जिसके अन्तर्गत 2010 तक 6 से 14 आयुवर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की योजना को कार्यरूप देने हेतु संविधान में 86 वाँ संविधान संशोधन किया गया। इसका उद्देश्य न केवल बच्चों को प्रवेश देना बल्कि प्रवेश के बाद उन बच्चों को स्कूल में आठ वर्षों तक अनिवार्य रूप से बनाएं रखना भी है। सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम भारत सरकार का जिले में प्राथमिक शिक्षा को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक ठोस पहल है। यह जिला आधारित एक विशिष्ट विकेन्द्रित योजना है। इसके माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की योजना है। इसके लिए स्कूल प्रणाली को सामुदायिक स्वामित्व में विकसित करने की रणनीति अपनाकर कार्य किया जा रहा है। यह योजना पूरे देश में राज्य सरकार की सहभागिता से चलाया जा रहा है। इसे प्रभावी रूप से विकेन्द्रीकृत करने के लिए सरकार ने पंचायती राज्य संस्थाओं, विद्यालय प्रबंध समिति, अभिभावक–अध्यापक समिति, ग्राम शिक्षा समिति आदि को इसमें शामिल किया गया है। शिक्षा की आवश्यकता एवं सम्पूर्ण साक्षरता लक्ष्य को शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने शिक्षा के विकेन्द्रीकरण पर बल दिया ताकि स्थानीय स्तर पर जिम्मेदारियों एवं दायित्वों की भागीदारी का निर्धारण हो सके। इसी कारण सरकार ने संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन द्वारा पंचायती राज एवं नगर पालिका व्यवस्था के अन्तर्गत शिक्षा के प्रबन्धन का भी विकेन्द्रीकरण किया। 24 अप्रैल 1993 को अधिनियम लागू कर सभी राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों को एक वर्ष के भीतर कानूनी संशोधन कर लागू करने के आदेश दिये गये। फलतः 24 अप्रैल 1994 को सभी 12 राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा विकेन्द्रीकृत प्रणाली लागू कर दिया गया। यद्यपि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए 12 अप्रैल 1999 को ग्राम पंचायतों को शिक्षा से सम्बन्धित व्यापक अधिकार दिये। शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 में प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन किया जाना अनिवार्य किया गया है। जिनका योगदान विद्यालय के संचालन, विकास, बच्चों के उपस्थिति, नामांकन में होगा।

2. साहित्य की समीक्षा

मेहता (2008) ने भारत में प्राथमिक शिक्षा – हम कहां खड़े हैं पर एक अध्ययन किया? सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बाद प्राथमिक शिक्षा की प्रगति की जांच करने के उद्देश्य से राज्य रिपोर्ट्स कार्ड, 2006–07 नई दिल्ली। यह देखा गया कि 2006–07 में क्पै के तहत प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूलों की संख्या 11,96,663 थी। लगभग 7.91% और 16.01% स्कूलों में नामांकन हुआ था। छात्र–कक्षा के अनुपात में सुधार हुआ था। प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 40 छात्रों को एक कक्षा में प्रवेश दिया गया था, लेकिन कुछ राज्यों में यह अनुपात अधिक था। बिहार (92), झारखंड (79), यूपी (53)। 2002–03 से 2006 की अवधि के दौरान, कंप्यूटरों वाले स्कूलों की संख्या प्रभावशाली रूप से बढ़ी, अर्थात् महारास्ट्र में सबसे अधिक स्कूल (2 स्कूल, 33.42%) कंप्यूटर के साथ थे, जहाँ अखिल भारतीय स्तर पर 6.51% प्राथमिक स्कूलों में कंप्यूटर थे। मध्याह्न भोजन योजना के तहत सभी बच्चों को पोषण आहार प्रदान किया गया, जहाँ 29% स्कूलों में स्कूलों में रसोई घर थे। 2005–06 में ड्रॉप–आउट दर पिछले वर्ष के दौरान 9.96% के मुकाबले प्राथमिक ग्रेड में 8.61% थी। लगभग 44.96% लड़कों और 45.12% लड़कियों ने 60% या उससे अधिक अंक के साथ ग्रेड पअ ध अ उत्तीर्ण किया, जबकि 40% लड़कों और 40.60% लड़कियों की तुलना में जिन्होंने 60% और उससे अधिक अंक ग्रेड अपप ध अपपप में उत्तीर्ण किए।

आर0 गोबिन्दा (2011) ने '' कैपेसिटी विल्डिंग फॉर ग्रासरूट प्लानिंग एण्ड मैनेजमेन्ट एट स्कूल लेवल'' पर अपने आलेख में बताया कि विद्यालयी शिक्षा में सुधार के लिए विद्यालयी स्तर पर शीघ्र उत्पन्न होने वाली समस्याओं को निर्धारित करना, मूल नियमों को लागू करने की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होते है। इसलिए शैक्षिक नियोजन और प्रशासन का मुख्य लक्ष्य विद्यालयी कार्यप्रणाली में सुधार होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रधानाध्यापक ही वह मुख्य बिन्दु है जो विद्यालय की प्रभावी संचालन और आन्तरिक दक्षता को बड़े पैमाने पर सुदृण करता है। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रधानाध्यापक को संस्थागत नियोजन और प्रबन्धन कौशलों की जानकारी एवं पर्याप्त ज्ञान दिया जाय। इसके लिए एक अभ्यास आधारित पाठ्य सामग्री सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों में क्षमताओं को विकसित करने के लिए तैयार की जानी चाहिए।

बरनदानी (2012) द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रति ''शिक्षक, प्रशासन, प्रबन्धन एवं अभिभावकों के दृष्टिकोण'' का अध्ययन किया गया। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा शिक्षा के लिए दी गयी संस्तुतियों के संदर्भ में अध्ययन करना था। इस अध्ययन में यह पाया गया कि सभी वर्गों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपयोगी है तथा इस दिशा में कारगर कदम भी उठाये गये है। सभी स्तर के लिए शिक्षा–व्यवस्था में इन संस्तुतियों के अनुसार सुधार होना चाहिए। शिक्षक–प्रशिक्षण, शैक्षिक प्रशासन, शैक्षिक प्रबन्धन की स्थिति असंतोषजनक है। अतः इनमें मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है।

सिन्हा (2012)– ने 'प्राथमिक विद्यालयों के विद्यालयी तथा कक्ष व्यवहार के प्रबन्धन' के लिए अध्यापकों द्वारा अपनायी जाने वाली विधियों का सर्वेक्षण किया। इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

- प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों को नियंत्रित करने हेतु उपयोग में लायी जाने वाली प्रविधि के स्तर का निर्धारण करना।
- परिषदीय तथा निजी विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा अपनायी जाने वाली इस प्रविधियों में अन्तर का अध्ययन करना।

मोहन्ती शिवा शंकर (2012) ने 'स्कूल कम्प्यूनिटी रिलेशनशिप' पर अध्ययन किया। उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि विभिन्न सामुदायिक संसाधन स्कूल के शिक्षण कार्य को प्रोत्सहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्कूल और सामुदायिक सहभागिता के बीच कुछ ऐसे कारक है जो बाधा पहुँचाते है। उनमें प्रमुख है– अभिभावक और शिक्षक के बीच संस्कृति का अन्तर, व्यवसाय की स्वतंत्रता, राजनीतिक दखलअंदाजी का शिक्षकों में भय, शिक्षकों का आर्थिक रूप से कमजोर होना, नियम के साथ कार्य करना, शैक्षिक प्रशासन के प्रति असहयोगात्मक दृष्टिकोण, विद्यालयी गतिविधियों में राजनीति का समावेश, ग्राम शिक्षा समिति, अभिभावक शिक्षक संघ इत्यादि का संगठनात्मक कारक है।

गुप्ता और गुप्ता (1992) ने 'आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत आपूर्ति किए गये सामग्रियों के उपयोग' का अध्ययन करने के लिए तीन राज्यों राजस्थान, गुजरात, और तमिलनाडू के दो–दो ब्लाक के 216 प्राथमिक विद्यालयों को अध्ययन के लिए चयन किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि 216 विद्यार्थियों में 83.8 प्रतिशत विद्यालयों के पास सभी मौसमों के लिए उपयुक्त दो कमरें और 55.6 प्रतिशत के पास बरामदा तथा 9.7 प्रतिशत के पास ही प्रशाधन सुविधा उपलब्ध थी। 46.2 प्रतिशत विद्यालयों के पास दो अध्यापक और 42 प्रतिशत के पास दो से अधिक अध्यापक है। जिन विद्यालयों में दो अध्यापक है, वहाँ पर सिर्फ 20.4 प्रतिशत विद्यालय में एक महिला प्राध्यापिका है। जहाँ पर दो से अधिक अध्यापक थे, वहाँ पर कम से कम एक महिला प्राध्यापिका थी। विद्यालयों में सामग्रियों की आपूर्ति में पाठ्यवस्तु 56 प्रतिशत के पास, पाठ्यपुस्तके 52 प्रतिशत के पास भारत, राज्य तथा जिले का मानचित्र क्रमशः 95.8 प्रतिशत, 90.3 प्रतिशत तथा 8 प्रतिशत विद्यालयों के पास था। ग्लोब 66.9 प्रतिशत, चाट 75 प्रतिशत, टाटपट्टी 28.2 प्रतिशत, खिलौने 60 प्रतिशत, प्राथमिक विज्ञान किट 92.6 प्रतिशत, गणित किट 99.5 प्रतिशत पुस्तकालयीय पुस्तकें लगभग सभी के पास था। छोटे उपकरण किट 99.1 प्रतिशत के पास, पत्रिका और समाचार पत्र शून्य, कक्षा फर्नीचर 33.8 प्रतिशत से 91.7 प्रतिशत तथा ब्लैक बोर्ड 83.3 प्रतिशत से 97.7 प्रतिशत के पास था। ज्यादातर ब्लाक शिक्षाधिकारियों तथा अध्यापकों ने इस वस्तुओं के प्रयोग के लिए पुनश्चर्या की आवश्यकता महसूस किया। तथा राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडू के शिक्षाधिकारियों तथा अध्यापकों ने यह मत दिया कि वस्तुओं की आपूर्ति तथा भत्तों में बढ़ोत्तरी के कारण बालकों की उपलब्धी तथा ठहराव में वृद्धि हुई। यह भी तथ्य सामने आया कि वस्तुओं के अधिकतम प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए खराब और रद्दी पड़ी वस्तुओं के प्रयोग के निर्णय का अधिकार प्राध्यापकों तथा ब्लाक अधिकारियों को दिये जाने के कारण शैक्षिक वातावरण तथा विकास में सहायता मिली है।

वैद्यनाथ ए0 और पी0आर0 गोपीनाथन (2011) ''एलीमेन्ट्री एजुकेशन इन रूरल इण्डिया' में जो कि भारतीय ग्रामीण परिवेश के प्राथमिक शिक्षा के परिदृश्य का विश्लेषण करता है। इसमें आठ राज्यों से प्राप्त आकड़ों के आधार पर यह बताने का प्रयास किया गया कि किस तरह से शिक्षा में असमानता पायी जा रही है, असमानता पाये जाने के क्या कारण है? तथा इसके निदान कैसे किए जा सकते है? इस पर प्रकाश डालता है। यह पुस्तक विद्यालयों के प्रबन्धन में स्थानीय समूहों की भागीदारी को उचित ठहराता है। इन समूहों के साथ अध्यापकों की भागीदारी को महत्वपूर्ण बतलाया गया है तथा अध्यापक इन समूहों के साथ सामंजस्य स्थापित कर प्राथमिक शिक्षा की प्रगति में योगदान कर सकते है।

3. अध्ययन का उद्देश्य

1. सर्व शिक्षा अभियान के प्रति शिक्षकों एवं अभिभावकों की प्रतिक्रियायें का अध्ययन करना।
2. सर्वशिक्षा अभियान के कारण प्राथमिक स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का अध्ययन करना।

4. सर्वशिक्षा अभियान

भारतीय संविधान का अनु0 45 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए करता है। संतोषजनक और गुणवत्तायुक्त सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की बात 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तथा 1992 के संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कही गयी। सन् 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने 'के0पी0 उन्नीकृष्णन' वाद में यह निर्णय दिया कि ''देश के सभी बच्चों को जब तक कि वह 14 वर्ष के उम्र को नहीं प्राप्त कर लेते, को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है।'' सर्वशिक्षा अभियान का मूल भारतीय संविधान के शैक्षिक प्रावधानों में ही निहित था। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इसके मील के पत्थर के रूप में देखा जा सकता है। 1988 के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में प्रस्ताव लाया गया कि सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को एक मिशन के रूप में लिया जाना चाहिए। मानव संसाधन मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन ने भी यह प्रस्तावित किया कि सार्वभैमिक प्राथमिक शिक्षा के प्रचार–प्रसार के लिए सम्पूर्ण देश में एक अभियान चलाया जाय। इस सम्मेलन ने 1999 में अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत किया। विभिन्न राज्यों के आठ शिक्षा मंत्रियों के इस राष्ट्रीय सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर सर्वशिक्षा अभियान की विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई। इस कमेटी ने यह विचार रखा कि इस योजना के प्रसार के लिए सम्पूर्ण पहुँच की दृष्टि होनी चाहिए और इस योजना में जिलों को इकाई के रूप में लिया गया। सम्मेलन ने यह भी प्रस्तावित किया कि इस योजना में केन्द्र, राज्य और स्थानीय सरकारों की साझेदारी सक्रिय होनी चाहिए। जिससे कि सार्वभौमिक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु सर्वशिक्षा अभियान का कार्यान्वयन भारत के मुख्य कार्यक्रम के रूप में 2000–2001 में किया गया। यह जिला आधारित एक विशिष्ट विकेन्द्रित योजना है। इसके माध्यम से एक निश्चित समयावधि के भीतर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की योजना है। इसे प्रभावी रूप से विकेन्द्रीकृत करने के लिए सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं, विद्यालय प्रबंध समिति, अभिभावक तथा अध्यापक संगठनों को शामिल किया गया है। इसी क्रम में 2002 में 86 वें संविधान संशोधन द्वारा अनु0 21(क) को जोड़कर 6–14 आयुवर्ग के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में, निःशुल्क और अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य बना दिया गया। सर्वशिक्षा अभियान पूरे देश में राज्य सरकार की सहभागिता से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वैसे गांवों में जहाँ अभी स्कूली विधा नहीं है, वहाँ नए स्कूल खोलना, विद्यमान स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, शौचालय, पीने का पानी, मरम्मत निधि, स्कूल सुधार निधि प्रदान कर उसे सशक्त बनाए जाने की भी योजना है। वर्तमान में कार्यरत वैसे स्कूल जहाँ शिक्षकों की संख्या अपर्याप्त है, वहाँ अतिरिक्त शिक्षको की व्यवस्था की जाएगी जबकि वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों को गहन प्रशिक्षण प्रदान कर, शिक्षण– प्रवीणता सामग्री के विकास के लिए निधि प्रदान कर एवं टोला, प्रखण्ड, जिलास्तर पर अकादमिक सहायता संरचना को मजबूत किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान द्वारा जीवन–कौशल के साथ गुणवत्तायुक्त प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की योजना है। इसके माध्यम से बालिका शिक्षा और जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सर्वशिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य ऐसी बस्तियों में स्कूल खोलना है। जहाँ एक किलोमीटर के दायरे में एक भी स्कूल नहीं है। इन स्कूलों में ऐसे बच्चों को शिक्षा दी जाती है जो स्कूल नहीं जाते है या फिर गरीबी के कारण जिनकी पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है। इस अभियान का लक्ष्य वर्ष 2007 तक सभी बालक–बालिका को शिक्षा उपलब्ध कराना था और वर्ष 2010 तक सामाजिक भेदभाव दूर कर सभी को प्राथमिक स्तर की शिक्षा से जोड़ना। बेहतर शिक्षा के अलावा कम्प्यूटर युक्त अध्ययन (शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर कम्प्यूटर की सहायता से शिक्षा और बच्चों के स्वतन्त्र प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है) तथा लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना निहित है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालिकाओं के लिए कई महत्वांकाक्षी योजनाएं शामिल की गई हैं। आठवीं कक्षा तक की बालिकाओं के लिए मुफ्त पाठ्यपुस्तकें और अधिक उम्र की बालिकाओं के लिए सेतु पाठ्यक्रम की व्यवस्था है। इनके अध्यापन के लिए 50: महिला शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान रखा गया है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई एक योजना कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना है। सन् 2004 में इस योजना की शुरूआत की गई थी। जिसका उद्देश्य लड़कियों के उच्चतर प्राथमिक स्तर पर शिक्षा हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करना है। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों का वित्तपोषण 1 अप्रैल 2007 से एक घटक के रूप में किया जा रहा है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति तथा सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से असमर्थ बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस अभियान में जहा ँ पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति की संख्या अधिक है, वहाँ पर्याप्त संख्या में स्कूल खोले जा रहे है। सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से असमर्थ बच्चों के लिए 1200 रुपये प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष देने का प्रावधान भी किया गया है। इस योजना के तहत विकलांग बच्चों की आवश्यकतानुसार स्कूल भवनों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सर्वशिक्षा अभियान में मुस्लिम बहुल राज्यों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्कूलों में नामांकन के लिए मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से श्रेणी रखी गयी

है। मदरसों और मकतबों में दी जाने वाली शिक्षा को भी सर्वशिक्षा अभियान में शामिल किया गया है। सबको कक्षा 1 से 8 तक मुफ्त पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करायी जाती है। जहाँ उर्दू माध्यम स्कूल है, वहाँ उर्दू पाठ्य पुस्तकें भी मुहैया करायी जाती है।

सर्वशिक्षा अभियान में समुदाय आधारित कार्यान्वयन और स्कूलों का स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर विकेन्द्रीकरण पर बल दिया गया है। समुदाय आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से स्कूल कार्यकलापों की निगरानी और बड़ी संख्या में कार्यकलापों का निष्पादन ग्राम पंचायत, ग्राम शिक्षा समितियों, विद्यालय प्रबन्ध समितियों अथवा इसके समकक्ष संस्थाओं द्वारा किया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा संचालित इस योजना में केन्द्र तथा राज्य सरकार के बीच वित्तीय अधिकार का अनुपात नौंवी पंचवर्षीय योजना में 85:15, दसवीं योजना में 75:25 तथा इसके बाद 50:50 का है।

5. निष्कर्ष

आज भारतीय समाज विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा है। समाज में सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं शैक्षिक समस्यायें व्याप्त हैं । गरीब और गरीब हो रहे हैं तथा अमीर और अमीर हो रहे हैं। युवा वर्ग बेरोजगारी की मार झेल रहा है। बढ़ती हुई जनसंख्या ने समाज में विभिन्न समस्याओं को जन्म दिया है। आज समाज में व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे– रोटी, कपड़ा और मकान तथा विलासिता एवं ऐश्वर्य आदि के प्रति इतना समर्पित हो चुका है कि उसे मूल्यों के उत्थान – पतन के विषय में सोचने का समय ही नहीं है । विविध भौतिक साधनों की प्राप्ति हेतु व्यक्ति इतना लोलुप है कि शारीरिक सुख के लिए वह मानसिक सुख को दांव पर लगाता जा रहा है। वह सुविधापूर्वक जीवन जीने के लिए इतना इच्छुक है कि इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए प्रतिपल जीवन को खतरे में डालता है। लोग न केवल अपने परिवार वरन् आने वाली कई पीढ़ियों के लिए धन संरक्षित करने में लगे हैं और इस प्रयास में वे मृत्यु जैसे परम सत्य को भूल जाते हैं। ऐसी दिशाहीनता की दशा में व्यक्ति उचित – अनुचित का भेद किये बिना संसार रूपी मृगतृष्णा के पीछे आजीवन दौड़ लगा रहा है सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम वर्ष 2011 से कार्यान्वित हो रहा है तथा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2020 तक प्राथमिक शिक्षा में 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के कक्षा 8 तक की गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित था । इसके साथ ही इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी लैंगिक और सामाजिक विषमताओं को समाप्त करना था। सर्व शिक्षा अभियान के तहत विद्यालय में छात्रों के ठहराव हेतु निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य परीक्षण, ड्रेस, बैग तथा विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा आदि की व्यवस्था की जा रही है।

CONFLICT OF INTERESTS

None.

ACKNOWLEDGMENTS

None.

संदर्भ

विश्वनाथ ए0 (2015)– विद्यालयों के बीच विद्यालय प्रशासन में आधुनिक प्रबन्धन तकनीकों पर फोकस का विश्लेषण, शोध।
मल्होत्रा पी0एल0 (2016)– भारत में विद्यालयी शिक्षा वर्तमान और भावी आवश्यकताएँ, रा0 शै0 अ0 परिषद, नई दिल्ली।
डा0 सिंह जी0बी0 (2011) भारत में शिक्षा का अधिकार एवं प्रारंभिक शिक्षा, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद (प्रथम संस्करण)
अग्रवाल जे0सी0 (2013) भारत में प्रारंभिक शिक्षा, विद्या बिहार, नई दिल्ली।
डा0 सारस्वत मालती, सिन्हा नीता एण्ड मदन मोहन (2013)– शिक्षा का इतिहास एवं समस्याएँ, न्यू कैलाश प्रकाशन, इलाहाबाद।
स्टेट रिपोर्ट काड्र्स (2015–16) – एलीमेन्ट्री एजुकेशन इन इण्डिया; लेहर डू वी स्टैण्ड? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रकाशन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
रामचन्द्रन विमला (2013) – गेटिंग चिल्ड्रेन बैक टू स्कूल, सेज पब्लिकेशन, कैलिफोर्निया।
पॉल क्लॉर्क (2015)– इम्प्रूविंग स्कूल्स इन डिफिकल्टी, फॉन्टीनम इण्टरनेशनल पब्लिशिंग ग्रुप।
गोविन्दा आर0 (2012)– इण्डिया एजुकेशन रिपोर्ट : ए प्रोफाइल ऑफ बेसिक एजुकेशन, आक्र्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
वैद्यनाथन ए0, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज चेन्नई, पी0आर0 गोपीनाथन नायर, सेन्टर फॉर डेवलपमेन्ट स्टडीज, तिरूवन्तपुरम् (2011)– इलीमेन्ट्री एजुकेशन इन रूरल इण्डिया, सेज पब्लिकेशन, कैलिफोर्निया।
सेवेन्थ आल इण्डिया स्कूल एजुकेशन सर्वे (2016) नेशनल काउन्सिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट आॅफ एजुकेशनल सर्वे एण्ड डेटा प्रोसेसिंग (2016)
अकीला आर0 (2014)– रीचिंग ग्लोबल गोल्स इन प्राइमरी एजुकेशन : सम जेण्डर कनसर्न फॉर तमिलनाडु (19 जून 2014)।
सर्वशिक्षा अभियान : फ्रेमवर्क फॉर इम्प्रीमेन्टेशन एम0एच0आर0डी0 गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया (2015)

अग्रवाल जे0सी0 (2015)– भारत में प्राथमिक शिक्षा, विद्या विहार, नई दिल्ली।
गोविन्दा आर0 एण्ड दीवान रश्मि (2013)– कम्यूनिटी पार्टिशिपेशन एण्ड इनवायरमेंट इन प्राइमरी एजुकेशन।
गोविन्दा आर0 (2015)– योजना सबके लिए बुनियादी शिक्षा, प्रगति और चुनौतियाँ।
गुप्ता एस0पी0 और गुप्ता अलका (2015)– भारतीय शिक्षा का ताना बाना, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
शर्मा एस0 डी0 (2012)– हॉरिजन्स ऑफ इण्डियन एजुकेशन, स्टर्लिन पब्लिशर्स प्रा0 लि0 नई दिल्ली।
गोविन्दा आर0 (2013)– आक्सफोर्ड इण्डिया एजुकेशन रिपोर्ट : ए प्रोफाइल ऑफ बेसिक एजुकेशन, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।
रावत आर0के0 एण्ड गुप्ता के0– शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकताएं और प्रबन्ध, राधा प्रकाशन, आगरा।
राय पी0 एन0 (2011)– अनुसंधान परिचय, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा।